बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं.–05/2019, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के अंतर्गत बिहार वन सेवा के मूल कोटि के सहायक वन संरक्षक के कुल 08 (आठ) पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु वैसे उम्मीदवार जो स्वस्थ एवं सुगठित शरीर के हों एवं बिहार वन सेवा के सदस्य के रूप में दक्षतापूर्वक कर्त्तव्य पालन करने में बाधा डालने वाली शारीरिक विकलांगता से मुक्त हों, से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है :–

क्र. सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित	05	02
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	00
3.	अनुसूचित जाति	01	00
4.	अनुसूचित जनजाति	00	00
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	00	00
6.	पिछड़ा वर्ग	01	00
7.	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ	00	00
	कुल	08	02

2.	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2526, दिनांक– 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या	नियमानुसार अनुमान्य होगी।

नोटः– ऐसे सरकारी सेवक जो इस पद के लिए योग्य हों, अपने आवेदन की हार्ड कॉपी बिहार सरकारी सेवक (पदों के लिए आवेदन) नियमावली 1951 के तहत विहित प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से दे सकते हैं।

2. वेतनमानः– Level-09

3. शैक्षणिक योग्यता :– मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या समकक्ष से कम से कम एक विषय यथा–वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, वानिकी, भू–गर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी एवं प्राणी विज्ञान के साथ स्नातक की डिग्री या कृषि स्नातक या अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्रीधारक होना चाहिए।

4. उम्र सीमा – 01.08.2019 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)– 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित महिला–40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)–42 वर्ष।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 212, दिनांक– 23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो अंतिम विज्ञापन/परीक्षा के समय उम्र के आधार पर पात्रता रखते थे, जो दिनांक–01.08.2015 से 01.08.2019 तक की अवधि में अधिकतम उम्र सीमा से अधिक उम्र के हो गये हैं, भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक – 2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक मे बिहार सरकार के वैसे सरकारी सेवक, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 2447 दिनांक 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03(तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(iv) वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी के रूप मे वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के लिए सम्वर्ग नियमावली में यथा विहित प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में पांच वर्षो की छूट अनुमान्य है।

5. चयन प्रक्रियाः– लिखित परीक्षा, शारीरिक जाँच एवं साक्षात्कार के आधार पर।

लिखित परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषय होंगे। सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी को छोड़कर सभी विषयों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं।

(क) अनिवार्य विषय :–

क्र. सं.	अनिवार्य विषय	पाठ्यक्रम	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि (घंटों में)	परीक्षा की प्रकृति
1	2	3	4	5	6
1.	सामान्य हिन्दी	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दसवीं (माध्यमिक) स्तर का होगा। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध हैं।	50 अहर्तांक 20 अंक	1:30	विषयनिष्ठ
2.	अंग्रेजी		50 अहर्तांक 20 अंक	1:30	विषयनिष्ठ
3.	सामान्य ज्ञान	पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध हैं।	100	2:00	वस्तुनिष्ठ
4.	वानिकी एवं पर्यावरण	इन्टर स्तरीय (+2) CBSE/ ICSE BOARD का पाठ्यक्रम होगा। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध हैं।	50	1:30	वस्तुनिष्ठ

नोटः–अनिवार्य विषय के अन्तर्गत सामान्य हिन्दी **(50 अंक)** एवं अंग्रेजी **(50 अंक)** में **20–20 अंक** अहर्त्तांक है, जिसे प्राप्त करना अनिवार्य होगा, लेकिन मेधा सूची तैयार करने में उसकी गणना नहीं की जाएगी।

(ख) ऐच्छिक विषय :– 300 (तीन सौ) अंक।

निम्नलिखित ऐच्छिक विषयों में से किन्हीं दो विषयों का चयन किया जाना अनिवार्य होगा, जिनमें प्रत्येक विषय का पूर्णांक 150 होगा एवं प्रत्येक विषय में दो पत्र होंगे, प्रत्येक का पूर्णांक 75 अंक होगा तथा प्रत्येक पत्र में परीक्षा की अवधि 1:30 घंटे की होगी। परीक्षा विषयनिष्ठ प्रकृति की होगीः–

क्र. सं.	ऐच्छिक विषय	विषयों के मानक एवं पाठ्यक्रम	उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन लेने की अनुमति नहीं हैं
1	2	3	4
1.	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान	1. सभी ऐच्छिक विषयों के मानक स्नातक डिग्री स्तर के होंगे। 2. सभी ऐच्छिक विषयों के पाठ्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2014 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम होंगे। उक्त पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।	(क) कृषि एवं कृषि अभियंत्रण; (ख) कृषि एवं वानिकी; (ग) कृषि एवं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान; (घ) रसायन शास्त्र एवं रासायनिक अभियंत्रण; (च) गणित एवं सांख्यिकी; (छ) अभियंत्रण के विषयों में से एक से अधिक नहीं।
2.	कृषि		
3.	कृषि अभियांत्रिकी		
4.	वनस्पति शास्त्र		
5.	जन्तु शास्त्र		
6.	गणित		
7.	रसायन विज्ञान		
8.	भौतिकी		
9.	भू–गर्भ शास्त्र		
10.	यांत्रिकी अभियंत्रण		
11.	सिविल अभियंत्रण		
12.	रसायनिक अभियंत्रण		
13.	सांख्यिकी		
14.	वानिकी		

(ग) (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 में किये गए प्रावधान के अनुसार लिखित परीक्षा में अनारक्षित 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिये 34 (चौंतीस) प्रतिशत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ii) लिखित परीक्षा में सफल कोटिवार रिक्ति के दस गुणा उम्मीदवारों को शारीरिक जाँच हेतु चुना जाएगा, उन चुने गए उम्मीदवारों को आयोग द्वारा आयोजित शारीरिक जाँच से गुजरना होगा। शारीरिक जाँच में सफल उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।

शारीरिक जाँच हेतु निम्नलिखित न्यूनतम मानदण्ड विहित हैं :-

	अनु॰ जाति / अनु॰ जनजाति के उम्मीदवारों के लिए	अन्य उम्मीदवारों के लिए
ऊँचाई (पुरूष)	152.5 से॰ मी॰	163 से॰ मी॰
ऊँचाई (महिला)	145 से॰ मी॰	150 से॰ मी॰

सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए

सीना (बिना फुलाए) पुरूष	79 से॰मी॰ (05 से॰मी॰) फुलाना

सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए

पैदल चलना (पुरूष)	4 घंटे में 25 कि॰मी॰
पैदल चलना (महिला)	4 घंटे में 14 कि॰मी॰

(घ) साक्षात्कार :- 50 अंक।

6. **अंतिम मेधा सूची** :- लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जाँच में सफल अभ्यर्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक को जोड़कर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।

7. आरक्षणः-

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। इससे संबंधित प्रमाण-पत्र के सत्यापन/प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी।**

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :-

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b)स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाईन आवेदन में आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST
3.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC
5.	अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS

नोटः- आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-963, दिनांक-20.01.2016 के आलोक में महिलाओं के लिए नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा।

ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक- 16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

8. शुल्क :-

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रूपये

(ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 200/- (दो सौ) रूपये

(iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 200/- (दो सौ) रूपये

(iv) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं।

9. <u>ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं</u>:– (i)

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	18.09.2019 से 26.09.2019 तक
2.	ऑनलाईन के माध्यम से भुगतान करने की अंतिम तिथि	30.09.2019 तक
3.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	04.10.2019 तक
4.	आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण–पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि	21.10.2019 के अपराह्न 05:00 बजे तक

<u>नोट–1</u>: **जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा।**

<u>नोट–2</u>: **जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाईन Application Form भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी दिनांक–30.09.2019 तक निश्चित रूप से भुगतान कर लें।**

(ii) ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। **ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) उम्मीदवार डैश बोर्ड पर अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।

(vi) **इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।**

(vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। **उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।**

(viii) **इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।**

(ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

10. <u>महत्वपूर्ण निर्देश</u> :–

(i) **अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाईन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नांकित सभी प्रमाण–पत्र/कागजात की प्रति केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक–21.10.2019 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित <u>प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित</u> प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करेंगे**:–

(a) मैट्रिक का प्रमाण–पत्र (जन्म तिथि के लिए);

(b)विज्ञापन की **कंडिका–3 शैक्षणिक योग्यता** के अनुरूप प्रमाण–पत्र;

(c) महाविद्यालय/संस्थान, जहाँ से उम्मीदवार ने अंतिम अध्ययन किया हो, द्वारा निर्गत चरित्र एवं आचरण प्रमाण–पत्र,

(d) वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी के रूप में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के लिये सम्वर्ग नियमावली के विहित प्रशिक्षित उम्मीदवार की दशा में अपने नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र,

(e) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण–पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण–पत्र,

(f) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।

(g) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण–पत्र;

(h) आयु में छुट का दावा करने की स्थिति में अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करेंगे।

(i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

आवेदक उपर्युक्त सभी वांछित प्रमाण–पत्रों की **स्व–अभिप्रमाणित** प्रति आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रमाण–पत्र आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण–पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण–पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

(ii) **यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण–पत्र/कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें प्रवेश–पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।**

(iii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(iv) **इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये <u>ऑनलाईन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे।</u> आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण–पत्र निश्चित रुप से प्रस्तुत करना**

अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

11. योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, ऑनलाईन आवेदन भरने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।
12. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।
13. इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, डैशबोर्ड से डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) एवं प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) को लिफाफे पर चिपकायें गे।
14. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
15. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

16.9.19

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।